

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1516063 दिनांक 28-01-2016

पत्र संख्या -फार्म अनु0 -447 आ0घो0प0सं0-2015-16 / - 307 -

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म -38 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 28 जनवरी::2016

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिशनर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	कार्यालय का नाम व पता	फार्मों की संख्या	आयात घोषणा पत्रों /ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	ज्वाइंट कमिशनर (कार्य०)वाणिज्य कर, लखनऊ सम्भाग-ए, लखनऊ।	100	क्रमांक EE- 3600901 से EE-3601000 तक


(विवेक कुमार)

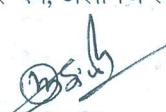
एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) -अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (2)- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर/समस्त ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक/वि०अनु०शा०)वा०कर उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें।
- (3)- डिप्टी कमिशनर (उ०न्याय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ।
- (4)- समस्त डिप्टी कमिशनर (क०नि०) / असिस्टेंट कमिशनर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं० (विधि -2 सत्यापन) (85-86)-201/बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म-31(91-92)-फार्म मुद्रण -865 / बिक्रीकर दिनांक 2-11-91 के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5)- समस्त असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी/ स०द०, वा० क० उत्तर प्रदेश।
- (6)- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।

- (7)- विधि / मैनुअल / नई इकाई को पॉच पॉच प्रतियाँ ।
(8)- फार्म अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
(9)- सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
(10)-पी0एस0 जैन अधिवक्ता सदस्य ,उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा ।
(11)- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस ,आर0 -15/5 राजनगर, गाज़ियाबाद ।
(12)- श्रीमती इन्दु मिश्रा , इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाज़ियाबाद ।
(13)- महालेखाकार (कार्मिशयल एवं रिसीट आडिट) यू0पी0, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ ।
(14)- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।


(एम0पी0 सिंह)

डिप्टी कमिश्नर (फार्म)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।